

::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष के शिक्षा अधिकारी को सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष की) पूर्ण करने पर, निम्न सूची में (कॉलम संख्या-6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्रं.सं	नाम कार्मिक सर्वश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
I	II	III	IV	V	VI
01	उमा शेखावत	राबाउमावि गुलाबबारी	अजमेर	25-06-1963	30-06-2023
02	बाबूलाल करोडीवाल	राउमावि खेडली पुरोहित कोटा	कोटा	01-07-1963	30-06-2023
03	अब्दुल आलीम सिद्दीकी	राउमावि विशिष्ट पूर्व नयापुरा कोटा	कोटा	07-05-1963	31-05-2023
04	परमानन्द गर्ग	राउमावि किशोरपुरा	जयपुर	19-09-1963	30-09-2023

उक्त उल्लेखित प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक::शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45005/प्रधानाचार्य/से.नि./23-24/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 16/05/2023

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
4. संबंधित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी को व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)